कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,(पूर्व) जोन–02 जिला इन्दौर

पलासिया चौराहा, इन्दौर, मध्यप्रदेश फोन – 07312491360

E-mail-aspeastindore@gmail.com

प्रश्न सं. [क्र. 3738] [22/7/2019]

परिशिष्ट अ
प्र.प्र. 3738
श्री सुनील सराफ

कं0/अ.पु.अ./इं/पूर्व/जोन–2/ पेक्ट./10-F /2019 दिनांक 04/7/19

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
जिला इन्दौर (पूर्व)

विषय :– दिनांक 24.03.2019 को ट्रान्स पब (लाईट हाउस) विजयनगर इन्दौर के विरुद्ध कार्यवाही विषयक ।

संदर्भ :– आपका पत्र क./पुअ/इं/पूर्व/पीए/314/19 दिनांक 26.03.2019 ।

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्गित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । पत्र के माध्यम से समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में दिनांक 26.03.2019 को प्रकाशित शीर्षक "विजयनगर में पब बंद करवाने पहुंची सीएसपी, संचालक बोला–60 पुलिस वालों को पैसे देता हूँ', की पेपर कतरन तथ्यात्मक जांच हेतु प्रेषित की गई थी ।

जांच के संबंध में बीट प्रभारी उनि व्हा.एस. रघुवंशी, उनि के.पी. पाराशर, परिउनि संजय लोधी, प्रआर. देवेन्द्र जादौन, आर. 3640 जितेन्द्र सिंह, खुफिया के कर्मचारी आर.1469 कुलदीप, आर.795 सुरेश मिश्रा एवं थाने के अन्य अधिकारी उनि पी.एल. शर्मा, सउनि देवेन्द्र सिंह पंवार, आर.3328 भरत बडे एवं थाना प्रभारी निरीक्षक श्री रत्नेश मिश्रा के कथन लिपिबद्ध गये । पब संचालक अंशुमान विजयवर्गीय को उपस्थिति के संबंध में बार–बार नोटिस जारी किये गये, लेकिन उनके द्वारा मात्र पब का आबकारी लायसेंस, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के द्वारा प्रदान लायसेंस की प्रति उपलब्ध कराई गई। पब संचालक के द्वारा लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया ।

प्रकरण में अपराध कमांक 291/19 धारा 188 भादवि एवं 16/3 कोलाहाल अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में कुल संख्या 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचनापूर्ण कर चालानी कार्यवाही की गई। दिनांक 25.03.2019 को सहायक आयुक्त, आबकारी जिला इन्दौर को पुलिस अधीक्षक, इन्दौर को पत्र भेजकर पब लायसेंस निरस्त करने हेतु लेख किया गया, जिसमें संबंधित विभाग आबकारी से प्रतिउत्तर अपेक्षित है ।

सम्पूर्ण जांच के दौरान लिये गये कथन, उपलब्ध साक्ष्य, के अवलोकन एवं अध्ययन पर बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

1. पब संचालक अंशुमान विजयवर्गीय को उपस्थिति के संबंध में बार–बार नोटिस जारी किये गये । पब संचालक के द्वारा लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । अतः समाचार पत्र एवं वीडियो क्लिप में पुलिस कर्मचारियों द्वारा पब संचालक से अनैतिक लाभ प्राप्ति संबंधी आरोप प्रमाणित नही हो सके ।

2. पूर्व में पब संचालक के द्वारा देर रात साउड बजाकर नियम उल्लंघन करने पर अप. क. 138/19 धारा 188 भादवि का पंजीबद्ध किया गया था । प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर चालानी कार्यवाही की गई थी ।

3. आबकारी विभाग के द्वारा ही शराब/अहाता/पब के लायसेंस की शर्तो का निर्धारण किया जाता है । अतः पब संचालक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध होने के पश्चात् दिनांक 26.03.2019. को सहायक आयुक्त, आबकारी जिला इन्दौर को पुलिस अधीक्षक, इन्दौर को पत्र भेजकर पब लायसेंस निरस्त करने हेतु लेख किया गया, जिसमें संबंधित आबकारी विभाग से प्रतिउत्तर अपेक्षित है ।

6/7

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय भोपाल

A.I.G. (Complaints)
PHQ, BHOPAL

Scanned by CamScanner

4. दिनांक 24.03.2019 को उप पुलिस अधीक्षक सुश्री पल्लवी शुक्ला के मार्गदर्शन में पब पर कार्यवाही की गई थी। सम्पूर्ण घटनाक्रम की जानकारी उन्ही के पास थी उसी आधार पर थाना विजयनगर के द्वारा प्रकरण में अपराध कमांक 291/19 धारा 188 भादवि एवं 16/3 कोलाहाल अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में कुल संख्या 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

आचार संहिता के दौरान सभी पब, बार एवं होटल संचालकों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी लायसेंस धारको को स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि सभी पब, बार एवं होटल, लायसेंस शराब दुकानों का संचालन नियमानुसार ही किया जाये। सभी बीट प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्र में रात्रि 12 बजे तक बन्द करवाने हेतु दायित्व सौपे गये थे एवं नियमित रूप से चैकिंग कार्यवाही की गई । पूर्व में उल्लंघन करने पर थाना विजयनगर में अप.क. 138/19 धारा 188 भादवि का दर्ज कर कार्यवाही की गई थी ।

निष्कर्ष :-

पब संचालक के विरुद्ध पूर्व में भी नियमों का उल्लंघन करने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था, पुलिसकर्मियों से पैसे लेन-देन के कोई साक्ष्य प्रमाणित नही पाये गये । चूंकि घटना दिनांक को ट्रांस पब आचार संहिता लगी होने के बावजूद निर्धारित समयावधि उपरान्त भी खुला था एवं पब में शराब वितरित की जा रही थी, जिसकी सूचना रात्रि गस्त अधिकारी उपुअ सुश्री पल्लवी शुक्ला को प्राप्त होने पर नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर थाना विजयनगर पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण में चालानी कार्यवाही की चुकी है ।

संलग्न :- 1. कथन मूलतः 11,
2. लायसेंस,
3. प्र.सू.रि.
4. नोटिस
5. सहायक आयुक्त आबकारी को पत्र

(शैलेन्द्र सिंह चौहान)
अति. पुलिस अधीक्षक (पूर्व)
जोन-2 जिला इन्दौर

6/7
A.I.G. (Complaints)
PHQ BHOPAL

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय, भोपाल.

Scanned by CamScanner